

अनुदान संख्या 22 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 22 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2292,80,00		
		2316,89,00	2024,01,05	-292,87,95
पूरक	Supplementary	24,09,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			292,50,22
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	767,20,00		
		767,22,00	673,58,17	-93,63,83
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			93,63,81

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹29287.95 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2409.00 लाख रूपए के पूरक अनुदान से अधिक हो गई तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹29287.95 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2409.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	116506.00			
पू.	S.	1.00	90342.25	90342.18	-0.07
पु.	R.	-26164.75			

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	109117.00			
पू.	S.	2408.00	108736.12	108736.12	..
पु.	R.	-2788.88			

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - सामुदायिक विकास - विश्व बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र ग्रामीण जीविका परियोजना" के अंतर्गत - एक मामले में स्कीम के बंद किए जाने के कारण पूर्णतय अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes-Community Development - North Eastern Rural Livelihood Project with World Bank Assistance" - due to closure of the scheme.

(II) "मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत - निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई :-

(II) Under Major Head "2552" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल को अंशदान" -

(A) "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region" -

(क) "पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम" - ₹7954.22 लाख की बचत (₹17215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "North East Special Infrastructure Development Scheme" - saving of ₹7954.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17215.00 lakhs); and

(ख) "पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों" - ₹8968.38 लाख की बचत (₹28441.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹8968.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28441.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जाति आर्थिक विकास कल्याण” – ₹4932.94 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम” – ₹3063.22 लाख की बचत (₹42212.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के बंद होने के कारण व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने की वजह से हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं :-

(का) “स्वायत्त परिषदों तथा संविधान की अनुसूची VI के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को विशेष विकास पैकेज” – ₹1272.61 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(खा) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल – पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल से केन्द्रीय सहायता” – ₹1081.10 लाख की बचत (₹18412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम” – ₹3663.53 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates from the State Governments and receipt of less claims.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Welfare of Scheduled Castes Economic Development” - saving of ₹4932.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(C) “Tribal Area Sub-Plan- Schemes of North Eastern Council” - saving of ₹3063.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42212.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposal sowing to closure of the Scheme.

(III) Under the Major Head “3601” - “Other Transfer/ Grants to States” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution- Special Development Package to Autonomous Territorial Council” - saving of ₹1272.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);

(B) “Central Pool of Resources for North East Region- Central Assistance from Non lapsable Pool of resources for North East and Sikkim” - saving of ₹1081.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18412.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub - Plan - Hill Area Development Programme” - saving of ₹3663.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹316.05 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3431.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें – पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के लिए ईएपी” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

(IV) Under one head saving of ₹316.05 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹3431.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grant to States - Schemes of North Eastern Council-EAP for North East Road Sector Development Scheme”.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “4552” पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas	
मू.	O.	73110.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-12362.81

60748.19 60748.17 -0.02

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “6885” उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण	Major Head “6885” Other Loans to Industries and Minerals	
मू.	O.	3000.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	2999.00

6000.00 6000.00 ..

(I) मुख्य शीर्ष “4552” के अंतर्गत, बचतें के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) “सड़कें और सेतु” -

(I) Under Major Head “4552” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Roads and Bridges” -

(क) “बीआरओ के जरिए संचालित होने वाली आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार” – ₹4822.45 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम” ₹4417.39 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न होने तथा कम उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदल झूला पुलों/आरसीसी पुलों सहित सड़कों और पुलों का निर्माण/सुधार” – ₹3000.33 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य निर्माण – पूर्वोत्तर परिषद – पूंजीगत स्कीमें” – ₹5500.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8588.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “4552” – “सामान्य निर्माण – संसाधनों का व्यपगत न होने वाला केन्द्रीय पूल – केन्द्रीय” – ₹5589.00 लाख।

(a) “Construction/improvement of Roads of economic importance to be executed through BRO” - saving of ₹4822.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(b) “North East Road Sector Development Scheme” - saving of ₹4417.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non- receipt of viable proposals and less receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(c) “Construction/ Improvement of Roads and Bridges including Foot suspension Bridges/ RCC Bridges in North Eastern Region” - saving of ₹3000.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the implementing agencies.

(B) “General Construction - Schemes of North Eastern Council-Capital” - saving of ₹5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

4. The above savings were partly (₹8588.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads:-

(A) Major Head “4552” - “General Construction - Non-lapsable Central Pool of Resources - Central” - ₹5589.00 lakhs.

(ख) मुख्य शीर्ष “6885” – “औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकर्मा को ऋण – एनईडीएफआई को ब्याज मुक्त ऋण” – ₹2999.00 लाख।

(B) Major Head “6885” - “Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and other Undertakings - Interest free Loans to NEDFi” - ₹2999.00 lakhs.
